राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं सहकारी समितियां भरतपुर

☆ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ☆

क्रमांक 99/भर/1996-97

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श टैगोर शिक्षा समिति नदबई जिला भरतपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक छठि माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ सत्तानवे को भरतपुर में दिया गया।

(अनिल कुमार जैन)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर (राज०)

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RAJ.

रजि0 नं. 99/भरत/1996–97

सचिव (संस्था का नाम) : **आदर्श टैगोर शिक्षा समिति, नदबई (भरतपुर)**

साधारण सभा दिनांक 25/2/20........ को कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी गठन किया गया :–

क्र. स.	नाम, पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती चंचल शर्मा पत्नि श्री सतीश चन्द	गृहणी	टीचर्स कॉलोनी नदबई	अध्यक्ष	चंचल शर्मा
2	श्री सतीश चन्द पुत्र श्री प्रेमचन्द	अध्यापन	टीचर्स कॉलोनी नदबई	सचिव	[signature]
3	श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड़ पुत्र श्री पोहप सिंह	अध्यापन	जुरहरा, भरतपुर	कोषाध्यक्ष	[signature]
4	श्री अश्विनी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	अध्यापन	नि0 बयाना भरतपुर	सदस्य	[signature]
5	श्री पौप सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल	दुकानदारी	ग्रा0 जुरहरा तह0 कामां	सदस्य	[signature]
6	श्री रामसनेही पुत्र श्री बुद्धीराम	कृषि	ग्रा0 करीली तह0 नदबई	सदस्य	[signature]
7	श्री मोहन लाल पुत्र श्री प्यारेलाल	दुकानदारी	ग्रा0 जुरहरा तह0 कामां	सदस्य	मोहन
8	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दीपचन्द	नौकरी	तसई तह0 कठूमर	सदस्य	[signature]
9	श्रीमती प्रेमवती देवी पत्नि महेश गुप्ता	गृहणी	[illegible] रोड़ नदबई	सदस्य	प्रेमवती
10	श्रीमती मोहिनी शर्मा पत्नि महेन्द्र शर्मा	गृहणी	तसई तह0 कठूमर	सदस्य	[signature]
11	श्रीमती पिस्ता देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद	गृहणी	नि0 बयाना भरतपुर	सदस्य	पिस्ता
12	श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नि स्व. प्रेमचन्द	गृहणी	टीचर्स कॉलोनी नदबई	सदस्य	सुभद्रा
13	श्रीमती कमोदा पत्नि रामसनेही	गृहणी	ग्रा0 करीली तह0 नदबई	सदस्य	कमोदा
14	श्रीमती विमला पत्नि रामचरण	गृहणी	नि0 लुहासा नदबई	सदस्य	विमला
15	छात्र प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	अध्ययन	देवेन्द्र कुमार	सदस्य	[signature]
16	अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत पदेन	कृषि	राजू कुमार	सदस्य	[signature]
17	स्टॉफ प्रतिनिधि मनोनीत	अध्यापन	नरेश चन्द शर्मा	सदस्य	[signature]
18	विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत पदेन		प्रधानाचार्य रा० उ० मा० वि० नदबई	सदस्य	

... संस्था रजिस्ट्रेशन ... के द्वारा ... संस्था पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ... नवीन कार्यकारिणी की ... की गई।

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RAJ.

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भरतपुर (राज0)

चंचल शर्मा
अध्यक्ष
अध्यक्ष
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई भरतपुर (राज०)

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई भरतपुर (राज०)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु

आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :–

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है । संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा ।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं । पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं ।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है । सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है ।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी हैं ।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है ।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RA.

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	प्रेमचन्द S/o श्री सांवलिया	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	अध्यक्ष
2.	सतीश कुमार S/o श्री प्रेमचन्द	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	मंत्री
3.	सुशील कुमार S/o श्री केशवदेव	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	कोषाध्यक्ष
4.	गोविन्द सिंह S/o श्री गुणाराम	दुकानदारी	नि० खांगरी नदबई जि० भरतपुर	सदस्य
5.	राजेन्द्र S/o श्री बृजेशसिंह	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर (राज०)	सदस्य
6.	टेकचन्द S/o श्री रामकिशन (खिलाड़ी)	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	सदस्य
7.	सुगड़सिंह S/o श्री	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	सदस्य
8.				
9.				
10.				
11.				

अध्यक्ष

प्रेमचन्द

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	प्रेमचन्द S/o श्री सांवलिया	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	प्रेमचन्द
2.	सतीश कुमार S/o श्री प्रेमचन्द	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	[illegible]
3.	सुशील कुमार S/o श्री केशवदेव	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	[illegible]
4.	गोविन्द सिंह S/o श्री गुणाराम	दुकानदारी	नि० खांगरी जि० भरतपुर	गोविन्द
5.	राजेन्द्र S/o श्री बृजेशसिंह	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	राजेन्द्र
6.	टेकचन्द S/o श्री रामकिशन	कृषि	नि० नदबई जि० भरतपुर	टेकचन्द
7.	सुगड़सिंह S/o श्री	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	सुगड़
8.	धाराम S/o श्री शंकर	नौकरी	नि० नदबई जि० भरतपुर	धाराम
9.	रूपपाल S/o श्री शिवचरण	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	[illegible]
10.	महेन्द्र सिंह S/o श्री [illegible]	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	[illegible]
11.	निहाल सिंह S/o [illegible]	दुकानदारी	नि० नदबई जि० भरतपुर	निहाल

अध्यक्ष

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RAJ.

4. सदस्यता:— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:—

1-संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।

2-बालिग हो ।

3-पागल, दीवालिये न हों ।

4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों

5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

5. सदस्यों का वर्गीकरण:— संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:—

~~1-संरक्षक~~

~~2-विशिष्ठ~~

~~3-सम्माननीय~~

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:— उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

~~1-संरक्षक~~ राशि .... वार्षिक/आजन्म

~~2-विशिष्ठ~~ राशि 1100 .... वार्षिक/आजन्म

~~3-सम्माननीय~~ राशि .... वार्षिक

4-साधारण राशि 500 वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त ~~अथवा रु० 5300~~ मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यता से निष्कासन :— संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:—

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभा :— संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :— साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:—

1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।

2-वार्षिक बजट पारित करना ।

3-प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RAJ.

4-संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें —

1-साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेषतया अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2-साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा ।

3-बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी । पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वे ही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे ।

5-संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य, इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे ।

11. कार्यकारिणी का गठन :—

संस्था के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1. अध्यक्ष-एक ~~2. उपाध्यक्ष-एक~~
~~3.~~ 2. मन्त्री-एक ~~4.~~ 3. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-~~सात~~ चार

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, वो यहां अंकित करें । कम रखना चाहें तो कम रख लें ।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी 3 व सदस्य 4 कुल 7 सदस्य होंगे ।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :—

1-संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।

2-चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा ।

3-चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :—

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी व कर्त्तव्य होंगे :—

1-सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।

2-वार्षिक बजट तैयार करना ।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHO
NADBAI (BHARATPUR) RA.

3-संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

4-वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना ।

5-साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6-कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना

14. कार्यकारिणी की बैठकें :— दो माह के अंतराल

1-कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

2-बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

3-बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो

अध्यक्ष
प्रेमचन्द

पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

5. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य:— संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1—अध्यक्ष :

1-बैठकों की अध्यक्षता करना ।

2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3-बैठकें आहूत करना ।

4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

2—उपाध्यक्ष :

1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करेगा ।

3—मन्त्री :

1-बैठकें आहूत करना ।

2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।

3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

मंत्री
कोषाध्यक्ष

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RA.

4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5-संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6-पत्र व्यवहार करना।

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :— संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा:—

1-चन्दा

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

2-शुल्क

3-अनुदान

4-सहायता

5-राजकीय अनुदान

1-उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2-अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :— संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 1100 रूपये .... रु०

2-मन्त्री 1100 रूपये .... रु०

3-कोषाध्यक्ष 1100 रूपये .... रु०

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण:— संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। अंकेक्षण रिपोर्ट उपनिबंधक (भरतपुर) को भी भेजी जावेगी।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NADBAI (BHARATPUR) RA.

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) आदर्श टैगोर शिक्षा नदबई समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

22- प्रबन्ध समिति → टैगोर शिक्षा समिति पदाधिकारियों के परिवर्तन होने पर समय समय पर सूचनाएं रजिस्ट्रार संस्थाएं भरतपुर कार्यालय को भेजी जावेगी ।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

सचिव
आदर्श टैगोर शिक्षा समिति
नदबई (भरतपुर) राज.

PRINCIPAL
TAGORE ENGLISH ACADEMY
SENIOR SECONDARY SCHO
NADBAI (BHARATPUR) RA.